# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :—सुरेश राव (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्याः—131/202025**

**जी.सी.एम.एस नं.—2025**

1. गितिक बिश्नोई पुत्र स्व. सुभाष उम्र 8 वर्ष नाबालिग
2. हार्दिक बिश्नोई पुत्र स्व. सुभाष उम्र 10 वष नाबालिग

जरिए वाद मित्र औमप्रकाश पुत्र रामधन जाति बिश्नोई उम्र 56 वर्ष निवासी चक 19 एस जे एम ढ़ाणी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगागर (राज.)

**———वादीगण**

**बनाम्**

1. मनीषा पत्नी स्व. सुभाष जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी छतरगढ़ तहसील छतरगढ़ तहसील बीकानेर (राज.)
2. उपं पंजीयक, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

**————प्रतिवादीगण**

**<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.</u>**

वकील उपस्थित—

1. श्री रमेश कुमार सोलंकी एडवोकेट वादीगण की ओर से
2. श्री रविन्द्र कुमार बलाना एडवोकेट प्रतिवादी सं.—1 की ओर से

**—:: निर्णय ::—** **दिनांकः—27/03/26**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी सं.—1 वाद पत्र मे सयुंक्त खाता में दर्ज विवादित कृषि भूमि वाके चक 19 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का खाता सं.—69/42 मु.नं.—36 प.सं.—296/384 के कि.नं.—1/1 का 0.144, 1/4 का 0.025 खाला, 2/1 का 0.228, 2/2 का 0.025 खाला, 3/1 का 0.228, 3/2 का 0.025 खाला, 4/1 का 0.228, 4/2 का 0.025 खाला, 13/1 का 0.127 हैक्टर कुल 1.055 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि में वादी सं.—1 के नाम से 947/3165 हिस्सा एवं वादी सं.—2 के नाम से 947/3165 हिस्सा को प्रतिवादी सं.—1 किसी भी तरीके से अन्यंत्र हस्तान्तरित, रहन, बैय, दान करने से वादीगण के अधिकार व अधिपत्य में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा करने व करवाने से निषिद्ध रहे तथा प्रतिवादी सं.—1 ऐसा कोई अविधिक कृत्य ना करें जिससे वादीगण के हितो पर कोई विपरित असर रहे और प्रतिवादीगण मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। वाद पत्र में प्रतिवादी सं.—1 ने **प्रार्थना—पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी** पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त वाद पत्र नाबालिगान गितिक बिश्नोई उम्र 8 वर्ष व हार्दिक बिश्नोई आयु 10 वर्ष की तरफ से उनके वाद मित्र ओमप्रकाश पुत्र [illegible] द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त दोनों नाबालिगान तथाकथित वादमित्र ओमप्रकाश [illegible] संरक्षण में नहीं है, बल्कि अपनी माता प्रतिवादीया संख्या—1 मनीषा के संरक्षण में रह रहे है। मनीषा [illegible] उक्त दोनों को पढाई हेतु राजकीय सीनियर स्कूल, डाबला में भर्ती करवा [illegible] संख्या 1 मनीषा साथ उसके पीहर में डाबला में निवास कर रहे है। तथाकथित वाद मित्र ओमप्रकाश का नाबालिग बच्चों से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध अथवा अधिकारीता नहीं है। उसके द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बिना किसी अधिकारीता का है। उक्त ओमप्रकाश मुझ प्रतिवादीया व मेरे नाबालिग बच्चों की कृषि भूमि मुकदमेंबाजी का भय दिखाकर हडप करना चाहता है। ओमप्रकाश ने वाद पत्र के साथ किसी

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 16:42:45 IST
Reason: SelfAttested

सक्षम न्यायालय का सरंक्षता आदेश पेश नहीं किया है और ना ही दोनों बच्चे उसकी फिजीकल कस्टडी में है, दोनों बच्चे शांतिपूर्वक मुझ प्रतिवादीया संख्या–1 के साथ रह रहे हैं जो कि आज मेरे साथ ही न्यायालय हाजा में उपस्थित आये हैं। वाद पत्र प्रस्तुत करने का ओमप्रकाश को कोई अधिकार नहीं है और ना ही उसने वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व न्यायालय से अनुमति प्राप्त की है। इसलिए वाद पत्र पूर्णतया विधि द्वारा वर्जित है व न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के कारण व विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्टेज पर निरस्त फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब वादीगण/अप्रार्थीगण की ओर जबाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं.–1 ने पूर्नविवाह कर लिया है एवं 2 एल के डी में निवास कर रही है। बच्चो के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वादी द्वारा वाद मित्र बनकर वाद प्रस्तुत किया है वादी किसी भी प्रकार से जमीन को नही हड़पना चाहता है वाद मित्र के तथ्यो बाबत अभी न्यायालय में साक्ष्य से वादी सिद्व करेगा कि वास्तव में बच्चो के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वाद मित्र बना है। बच्चो के वास्तविक दादा दादी का देहात हो चुका है। एवं बच्चो के चाचा व ताया भी नही है। ऐसी स्थिती को ध्यान में रखते हुए वादी द्वारा जरिए वाद मित्र वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। क्योकि प्रतिवादी सं.–1 मनीषा द्वारा आधा बिघा जमीन का बेचान पजीकृत बैयनामा से किया जा चुका है। जिसकी प्रति भी पेश कर दी गई है। बाकी समस्त कृषि भूमि का ईकरारनामा भी किया जा चुका है। जिस से यह कृषि भूमि को बेचान चाहती है। ऐसी सूरत में बच्चो के भविष्य के अनसरण में जरिये वाद मित्र वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है वाद मित्र दावा प्रस्तुत कर सकता है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी सं.–1 का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष बहस पर मनन किया गया एवं उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान अवलोकन किया। वाद पत्रों के अभिवचनों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर न्यायालय यह पाता है कि उपरोक्त दोनों नाबालिगान तथाकथित वादमित्र ओमप्रकाश के सरंक्षण में नहीं है, बल्कि अपनी माता प्रतिवादीया संख्या 1 मनीषा के सरंक्षण में रह रहे हैं। वादमित्र ओमप्रकाश का नाबालिग बच्चों से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध अथवा अधिकारीता नहीं है। उसके द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बिना किसी अधिकारीता का है। वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का हस्तगत वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के कारण एवं वाद के विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं.–1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## –:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं.–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण के हस्तगत वाद पत्र को इसी अवस्ता पर नामंजूर किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.30 15:42:45 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़